सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

अधिसूचना

एतद्द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्रांक–1068 /अ0सं0क0/ भा0स0छा0वृ0/2020–21 दिनॉक–15 अक्टूबर, 2020 के क्रम में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जपनदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र का अवलोकन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:–

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अधिकारी सिद्धार्थनगर के पत्र संख्या–1298 दिनॉक–01.09.2020 की छायाप्रति।

भवदीय

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 397 /सूचना/2020 दिनांक– 16/10/2020

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

6. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
7. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
8. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
9. सम्पादक महोदय– अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र के अंक में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

1. कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांकः 1068 /अ0सं0क0/भा0स0छा0वृ0/2020–21 दिनांक 15 अक्टूबर, 2020

विषयः प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं में नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (NSP) पर संस्थाओं के पंजीकरण व KYC के सत्यापन में प्रगति लाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवगत कराना है कि दिनांक 14.10.2020 को प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एव वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक एवं मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर संस्थाओं के पंजीकरण व KYC सत्यापन की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये अगले एक सप्ताह में शत–प्रतिशत KYC कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर के कार्यालय पत्रांक 0934/अ0सं0क0/एन0एस0पी0–म0स0छा0वृ0/2020–21 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 एवं पत्रांक 1041/अ0सं0क0/भा0स0छा0वृ0/2020–21 दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 द्वारा भी पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है।

ज्ञातव्य है कि नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर पंजीकृत कुल 3513 संस्थाओं के सापेक्ष लम्बित KYC संस्थाओं की कुल संख्या 3108 है।

उक्त KYC प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु संस्थाओं द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है :–

1. समस्त शिक्षण संस्थान संलग्न प्रारूप भरकर कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर, कक्ष संख्या–9, भूतल, विकास भवन, सिद्धार्थनगर को उपलब्ध करायेंगे।
2. *वाले कॉलम भरना अनिवार्य होगा।
3. संस्था द्वारा प्रारूप पर अंकित किये गए मोबाइल नम्बर पर संस्था का आई0डी0 पासवर्ड भेजा जायेगा।
4. आई0डी0 पासवर्ड प्राप्त होने के पश्चात वेबसाइट **https://scholarships.gov.in** पर जाकर **Institute Login** पर क्लिक कर अपनी आई0डी0 से लॉगिन करेंगे।
5. लॉगिन करने के उपरांत **KYC form** खुल के आएगा जिसको सावधानीपूर्वक त्रुटिरहित ऑनलाइन भरा जायगा। **KYC form** भरते समय संस्था के स्कॉलरशिप नोडल अधिकारी का पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर आईडी कार्ड आदि) ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा।
6. ऑनलाइन KYC फॉर्म पूरा भरकर उसकी प्रिंट निकाल कर प्रथम पेज पर निर्धारित स्थान पर नोडल अधिकारी का फोटो चस्पा करेंगे तथा दूसरे पेज पर हस्ताक्षर मुहर करते हुए KYC फॉर्म के साथ अपलोड की गई पहचान पत्र की प्रति संलग्न कर जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से अग्रसारित कराते हुये कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर को उपलब्ध कराएंगे।

Rakesh Sri 2020-21 2nd 07.09.20

Scanned with CamScanner

7. **KYC** का सत्यापन होने पर नोडल अधिकारी के नम्बर पर **Massage** जायेगा। अब संस्था अपनी आई0डी0 पर लॉगिन कर अपनी **Profile Update** कर लेंगे, जिसमें *वाले कॉलम भरना एवं मान्यता की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. **Profile Update** करने के उपरान्त छात्र–छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति आवेदन हेतु प्रेरित करते हुये आवेदन कराना सुनिश्चित करेगें।

अतः उक्त **KYC** हेतु सम्बन्धित सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया संलग्न सूची के अनुसार समस्त सम्बन्धित संस्थाओं को उपरोक्तानुसार समस्त औपचारिकताओं को अनिवार्यतः एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एजाजुल हक खान)
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पृष्ठांकन संख्या : तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक महोदया, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, 620–इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
4. जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे जनहित में समस्त समाचार–पत्रों (हिन्दी/उर्दू) में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, समस्त सम्बन्धित मदरसे को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार KYC प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही विलम्बतम 01 सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रुप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
6. श्री आशुतोष सहानी, कम्प्यूटर ऑपरेटर को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बन्धित मदरसों को व्यक्तिगत रुप से सूचित करते हुये उक्त KYC प्रक्रिया एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

Rakesh Sri 2020-21 2nd 07.09.20

Scanned with CamScanner